न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 07/2013

बउनवान

कृष्णमुरारी पुत्र श्री भवानीशंकर, आयु 35 साल जाति मीणा निवासी बमूलिया जागीर तहसील व जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री योगेश गुर्जर, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

जिला कलैक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक— 18.10.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.11.2012 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमूलिया जागीर तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 953 रकबा 0.16 है., किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 80 /— रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, एवं अपीलांट केवल मात्र अपने खातेदारी की आराजी पर ही काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.11.2012 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर [illegible] जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व [illegible] हेतु नियत की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.14 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में भी उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 269/2012 निर्णय दिनांक 21.03.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 953 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म–चारागाह ग्राम बमूलिया जागीर पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण करने पर प्रकरण संख्या 269/2012 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 653/2012 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

s

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.14 15:34:28 IST
Reason: SelfAttested